13.12.2017

न्यायालय रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। आवेदकगण सूरजभान एवं श्रीमती सुमन द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

न्यायालय न्यायिक मिजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी ) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1171/15 ई.फौ. राज्य बनाम रामनाथ सिंह एवं अन्य का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदकगण सूरजभान एवं श्रीमती सुमन के अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक सूरजभान एवं श्रीमती सुमन के चाचा भागीरथ के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदकगण सूरजभान एवं श्रीमती सुमन का प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० का है। इस प्रकृति के अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया हैं, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनके द्वारा आवेदिका सुमन के साथ घटित घटना के अनुसार ही साक्ष्य दी गई है, आवेदकगण ने कोई मिथ्या साक्ष्य नहीं दी है। आवेदक श्रीमती सुमन की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह आग्नेय शस्त्र की चोटो से चोटिल है और उसके पेट पर घाव है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। वह अपने नााबलिक बच्चों के साथ मायके में रह रही है और उनकी देखरेख करने वाला उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। यदि उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तो उसे और उसके बच्चों को बड़ी परेशानी आएगी। उक्त आधारों पर जमानत आवेदन पत्र स्वीकार कर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 01.12.15 को सत्र प्रकरण क्रमांक 325 / 14 उनवान राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद बनाम मुकेश एवं अन्य में निर्णय घोषित किया गय था, जिसमें अभियुक्तगण को धारा—498ए, 307 भाठदंठसंठ एवं धारा—04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः एक वर्ष, पांच वर्ष, एक वर्ष के कठोर कारावास से दिण्डित किया गया था परंतु उक्त निर्णय में पैरा—33 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि सुमन अठसाठ—05 पर जान बूझकर असत्य कथन देना परिलक्षित होता है। पैरा—47 में यह निष्कर्ष दिया है कि रिपोर्ट कर्ता रामनाथ अठसाठ—01 तथा साक्षी सूरजभान सिंह अठसाठ—02 के द्वारा मुख्यपरीक्षण, प्रतिपरीक्षण ओर पुनः परीक्षण में जिस तरह से अभिसाक्ष्य दी गई है उससे उनके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना प्रकट होता है। इस कारण से धारा—340 एवं 195 दं०प्र०संठ के तहत इन तीनों को अभियोजित किए जाने हेतु परिवाद

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रेषित किया है। अभियोजन के अनुसार आवेदकगण पर मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का आक्षेप है। आवेदकगण के द्वारा न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दी गई है। आवेदकगण के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप दोनों आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

ATTACHEN PRESIDENT STATEMENT OF THE PRESIDENT OF THE PRES